"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी.ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अप्रैल, 2004—वैशाख 10, शक 1926

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, बालोद, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

प्ररूप-चार

[नियम 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

क्रमांक 20 प्र. 1/अ.वि.अ./2004.—अनुविभागीय अधिकारी एवं सार्वजनिक न्यास बालोद जिला-दुर्ग (छ. ग.) के समक्ष चूंकि श्री नारायणसिंह आ. उदेराम निवासी ग्राम-चिचबोड़, प.ह.नं. 9 तहसील-बालोद, जिला दुर्ग (छ. ग.) लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी सम्पति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 8 मार्च, 2004 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं अनुविभागीय अधिकारी एवं सार्वजनिक न्यास बालोद जिला-दुर्ग (छ. ग.) का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 8 मार्च, 2004 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता : श्रीराम जानकी मंदिर लोक सेवा न्यास, ग्राम-चिचबोड़, तह. बालोद, जिला-दुर्ग (छ. ग.).

चल सम्पति का विवरण : 500-00 रु. स्टेट बैंक आफ इंडिया कृषि विकास शाखा बालोद खाता क्रमांक 01100050099.

अचल सम्पत्ति का विवरण :

	खसरा नं.	रकबा	लगान
	792	0.74 हे.	2.25 रु.
	810	0.10 हे.	
योग	2	0.84	2.25 रु.

एस. सी. बंजारे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, दुर्ग (छ. ग.)

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1)देखिए]

क्रमांक 2126/प्र. अ. वि. अ./03.—चूंकि मुख्य प्रबंध ट्रस्टी न्यास किला मंदिर तमेर पारा दुर्ग ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 6 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 19 मार्च, 2004 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो सूचना उसे लोक न्यास पंजीयक कार्यालय में दे सकते हैं.

अत: मैं, एस. आर. बांधे, पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 19 मार्च, 2004 उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होकर दावा रख सकते है. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(1)	लोक न्यास का नाम	:	श्री किला मंदिर, तमेर पारा, दुर्ग (छ. ग.)
(2)	लोक न्यास की संपत्ति	:	रुपये 28.00 लाख

एस. आर. बांधे,
पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक, न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जगदलपुर

प्ररूप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]

रा. प्र. क्र. 1/ब-113/03-04.—चूंकि श्री महेन्द्रकांत पी. सांगाणी पिता श्री प्रभुदास एम. सांगाणी निवासी प्रतापगंजपारा जगदलपुर को प्रभुदास सांगाणी स्मृति चेरिटेबल ट्रस्ट को एवं अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए छ. ग. सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) को धारा 4 के अधीन आवेदन किया है. इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में मेरे द्वारा तारीख 28-2-2004 को विचार किया जावेगा. उक्त न्यास का संपत्ति संबंधी मामलों में किसी प्रकार का हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो कोई आपत्ति उठाना चाहे या सुझाव देना चाहे, वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर अपने लिखित बयान की दो प्रतियां बनाकर देवें और उक्त तारीख को मेरे सामने या तो स्वयं या किसी वकील या अभिकर्त्ता के जरिये उपस्थित हों. उक्त कालावधि बीत जाने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ. क्र.	ट्रस्ट का नाम	स्थान	संपत्ति विवरणानुसार	
			चल संपत्ति	अचल संपत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रभुदास सांगाणी स्मृति चेरिटेबल ट्रस्ट.	जगदलपुर	-	यूनियन बैंक आफ इंडिया, जगदलपुर खाता क्र. 26078, रु. 11,000=00 नगद-40,000=00.

हस्ता/-
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1/बी-113/2003-2004.—सर्वसाधारण ग्रामवासी केनसरा एवं अन्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में आवेदकगण श्री विष्णुचरण गुप्ता आ. स्व. श्री महादेव गुप्ता व अन्य 7 निवासी ग्राम-केनसरा तहसील/जिला-रायगढ़ (छ. ग.) द्वारा लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम केनसरा प.ह.नं. 29 तहसील/जिला-रायगढ़ में स्थित "भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर" को ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु निम्नलिखित विवरणों सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

1.	प्रस्तावित ट्रस्ट का नाम	:	भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर ट्रस्ट, केनसरा
2.	चल संपत्ति	:	8,38,154=00 रुपये
3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम केनसरा प.ह.नं. 29 तह./जि. रायगढ़ स्थित बी-1 किस्तबंदी खतौनी के खाता क्रमांक 250 वर्ष 97-98 एवं खसरा वर्ष 95-96 से 99-00 के अनुसार कुल 7.579 हेक्टर भूमि.
4.	मंदिर के आय का स्रोत	:	उक्त कृषि भूमि से प्राप्त आय.
5.	प्रस्तावित ट्रस्ट का उद्देश्य	:	पूजा अर्चना, रथ यात्रा एवं अन्य पर्वों का पारंपरिक विधिवत् संचालन एवं व्यवस्था, मंदिर का रख-रखाव एवं पुनर्निर्माण, मरम्मत, परिवर्धन, संशोधन एवं अन्य निर्माण, धार्मिक पुस्तकों का वाचनालय एवं ग्रंथालय तथा शिक्षालय तथा अन्य पूजा स्थलों का सहयोग.
6.	प्रस्तावित ट्रस्ट के पदाधिकारी	:	1. श्री विष्णुचरण गुप्ता आ. स्व. महादेव गुप्ता, अध्यक्ष. 2. श्री सत्यव्रत गुप्ता आ. बीरबल गुप्ता, सचिव. 3. श्री प्रफुल्ल गुप्ता/शिवचरण गुप्ता, न्यासी/सदस्य 4. श्री सानोद कुमार/स्व. हरिचरण गुप्ता, न्यासी/सदस्य 5. श्री विद्यानंद/शंभुलाल प्रधान, न्यासी/सदस्य 6. श्री सनुलाल गुप्ता/परमानंद, न्यासी/सदस्य 7. श्री कपिलेश्वर गुप्ता/स्व. भुरसी गुप्ता, न्यासी/सदस्य 8. श्री पदमन साव/स्व. रूंगुसाव, न्यासी/सदस्य

अत: उपरोक्त विवरण के आधार पर ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, अत: एतद्द्वारा सूचना दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह की भीतर (दिनांक 10-2-2004 तक) लिखित कथन प्रस्तुत कर सकते हैं, उक्त प्रकरण में सुनवाई दिनांक 10-2-2004 को प्रात: 11.00 बजे नियत है, अत: मेरे समक्ष उपस्थित होकर व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं.

हस्ता/-
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं जन न्यास पंजीयन, अधिकारी, गरियाबंद

[छ. ग. जन न्यास अधिनियम, 1951 की धारा (2) तथा छ. ग. जन न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 51 (2) के अंतर्गत]

क्रमांक अपंजीकृत/ब/113 (4) वर्ष 2003-2004.—चूंकि छत्तीसगढ़ जन न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में है कि इस प्रकरण की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 6-4-2004 को स्थान गरियाबंद में समय 10.30 बजे होगी.

इस न्यास की सम्पत्ति में रुचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित रूप से भेज सकता है तथा मेरे समक्ष उपरोक्त तिथि को स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हो सकता है. इस अवधि की समाप्ति के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

क्रमांक (1)	मंदिर/ट्रस्ट का नाम (2)	मंदिर की अचल सम्पत्ति का विवरण (3)	
		खसरा नंबर	रकबा
1.	गायत्री शक्ति पीठ राजिम	716	0.073 हे.

हस्ता/-
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

क्रमांक 31/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री स्वामी ब्रम्ह विद्यानंद सरस्वती डिवाइन लाइफ ट्रस्ट ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 27-4-2004 को होगी.

अनुसूची

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण	:	डिवाइन लाइफ ट्रस्ट शिवानंद आश्रम ग्राम अटारी पत्रालय-तेन्दुआ जिला-रायपुर (छ. ग.).
चल संपत्ति	:	यूनियन बैंक आफ इंडिया समता कालोनी, रायपुर, खाता नं. 4521 रुपये 1,23,000=00 (एक लाख तेईस हजार रुपये मात्र).
अचल संपत्ति	:	ख. नं. 139 का भाग रकबा 0.425 हे.

क्रमांक/क/अ.वि.अ./ट्रस्ट/04.—चूंकि कु. टी. एन. सुसवंदा आत्मज नीलकंठन दोंदेकला रायपुर ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (27 जून 1951) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है.

अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 26-4-2004 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के 30 दिवस के भीतर में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेंट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किए गए आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

सालोप्रेयर फेलोशिप दोंदेकला, जिला-रायपुर (छ. ग.).

रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित)
खाता क्रमांक 2098 जमा राशि 4081.00 अक्षरी चार हजार इक्यासी रुपये मात्र.

अचल संपत्ति :— खसरा नं. 258/4, 0.032 हे.

के. के. बक्शी,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, धमतरी (छ. ग.)

क्रमांक 342/अ.वि.अ./वा-1/04.—आवेदक श्री नंदकुमार साहू वल्द हरवंश साहू निवासी ग्राम-भेंडरा, तहसील कुरूद, जिला धमतरी के द्वारा ''शिव मंदिर ट्रस्ट'' ग्राम भेण्डरा तहसील कुरूद का म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने आवेदन प्रस्तुत किया है.

अत: सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 21-4-2004 को न्यायालय अवधि में रखी जावेगी. संबंधित पक्षकार जो उक्त ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के निकलने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी दिनांक को स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होवें. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ग्राम-भेण्डरा, तहसील-कुरूद में स्थित भूमि ख. नं. 307 रकबा 0.81 हेक्टेयर भूमि महादेव मंदिर सर्वराकार हरिपुरी वल्द पुरूषोत्तम के नाम पर दर्ज है.

ओंकार यदु,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.